प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1592/2018

1- ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मंडल प्रबंधक के द्वारा, परमानंद बिल्डिंग, जीई रोड, राजेंद्र पार्क चौक के पास, दुर्ग तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। (दुर्घटनाग्रस्त वाहन, ट्रक बेयरिंग पंजीकरण संख्या सीजी 04 ई 4256 (अपीलकर्ता संख्या 1) (उत्तरवादी संख्या 3) का बीमाकर्ता, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

---अपीलकर्ता

बनाम

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1–लकेश्वर साहू पिता स्वर्गीय लुमन कुमार साहू उम्र लगभग 13 वर्ष उत्तरवादी क्रमांक 1 माता श्रीमती के संरक्षण में। पुष्पा बाई साहू पति स्वर्गीय लुमन कुमार साहू निवासी ग्राम पथरिया, पोस्ट मेडेसरा तहसील और जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। (दावेदार क्रमांक 1), जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

2– तिजाऊराम यादव पिता माधो राम यादव उम्र लगभग 39 वर्ष निवासी ग्राम कोडिया, तहसील व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। दुर्घटनाग्रस्त वाहन ट्रक का चालक जिसका पंजीकरण क्रमांक सी.जी. 04 ई 4256 (उत्तरवादी संख्या –2) गैर–अपीलकर्ता संख्या –1), जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

3– सविन्द्रर सिंह पिता गुरदीप सिंह रेखी, उम्र मेजर, निवासी 55/20 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। (दुर्घटनाग्रस्त वाहन का स्वामी, ट्रक, पंजीकरण संख्या सी.जी. 04 ई 4256 (उत्तरवादी संख्या 2) गैर–अपीलकर्ता संख्या –1), जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1575/2018

1- ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मंडल प्रबंधक के द्वारा, परमानंद बिल्डिंग, जीई रोड, राजेंद्र पार्क चौक के पास, दुर्ग तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। (दुर्घटनाग्रस्त वाहन, ट्रक बेयरिंग पंजीकरण संख्या सीजी 04 ई 4256 (अपीलकर्ता संख्या 1) (उत्तरवादी संख्या 3) का बीमाकर्ता, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

---अपीलकर्ता

बनाम

1.श्रीमती चित्रलेखा बंजारे राजेंद्र उम्र लगभग 42 वर्ष निवासी ग्राम कोदिया पुलिस थाना– नंदनी, तहसील–धमदा, जिला– दुर्ग, छत्तीसगढ़......(दावाकर्ता सं 1), जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

2 – राजेंद्र बंजारे पिता भकालु बंजारे उम्र लगभग 49 वर्ष निवासी ग्राम कोदिया थाना– नंदनी, तहसील– धमदा, जिला– दुर्ग, छत्तीसगढ़...... (दावाकर्ता सं2), जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

3 – कुमारी भारती बंजारे पिता राजेंद्र बंजारे निवासी ग्राम कोदिया थाना–नंदनी, तहसील– धमदा, जिला– दुर्ग, छत्तीसगढ़......(दावाकर्ता क्रमांक 3), जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

4 दिग्विजय बंजारे पिता राजेंद्र बंजारे उम्र लगभग 12 वर्ष पिता निवासी के संरक्षण में। क्रमांक 2, निवासी ग्राम कोदिया पुलिस थाना– नंदनी, तहसील– धमदा, जिला– दुर्ग, छत्तीसगढ़...... (दावाकर्ता क्रमांक 4), जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

5 – तिजाउराम यादव पिता माधो राम यादव उम्र लगभग 39 वर्ष निवासी ग्राम–कोदिया, तहसील और जिला– दुर्ग, छत्तीसगढ़, आपत्तिजनक वाहन ट्रक जिसका पंजीकरण क्रमांक सी.जी. का चालक है। 04 ई 4256....... (गैर–अपीलकर्ता क्रमांक 1), जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

6– सविंदर सिंह पिता गुरदीप सिंह रेखी निवासी 55/20 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, आपत्तिजनक वाहन ट्रक का मालिक, पंजीकरण संख्या सी.जी. 04 ई 4256....... (गैर अपीलकर्ता क्रमांक 2), जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

––– उत्तरवादी

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1548/2018

1- ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मंडल प्रबंधक के द्वारा, परमानंद बिल्डिंग, जीई रोड, राजेंद्र पार्क चौक के पास, दुर्ग तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। (दुर्घटनाग्रस्त वाहन, ट्रक बेयरिंग पंजीकरण संख्या सीजी 04 ई 4256 (अपीलकर्ता संख्या 1) (उत्तरवादी संख्या 3) का बीमाकर्ता, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

––– अपीलकर्ता

बनाम

1 - लक्ष्मीनाथ साहू पिता काशीराम उम्र लगभग 50 वर्ष जाति तेली, निवासी ग्राम परोदा, थाना व तहसील धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़.... दावाकर्ता क्रमांक 1, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

2- श्रीमती कुमारीबाई पति लक्ष्मीनाथ, उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी ग्राम परोदा, पुलिस थाना और तहसील धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़.. जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़ दावाकर्ता क्रमांक 2

3- कुमारी तीजन पिता लक्ष्मीनाथ साहू, उम्र लगभग 14 वर्ष, पिता के संरक्षण में उत्तरवादी सं 1 दावाकर्ता क्रमांक 1 लक्ष्मीनाथ साहू, पिता काशीराम साहू, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी ग्राम परोदा, पुलिस स्टेशन और तहसील धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़... दावाकर्ता सं 3, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

4– तिजाऊराम यादव पिता माधो राम यादव, उम्र लगभग 39 वर्ष निवासी ग्राम कोडिया, तहसील व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। दुर्घटनाग्रस्त वाहन का चालक, ट्रक पंजीकरण संख्या **C.G.04 E** 4256, गैर–अपीलकर्ता क्रमांक 1, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

5– सविंदर सिंह पिता गुरदीप सिंह रेखी*,* आयु– बालिग*,* निवासी *55/20* नेहरू नगर पश्चिम भिलाई*,* जिला दुर्ग*,* छत्तीसगढ़ आपत्तिजनक वाहन का स्वामी*,* ट्रक पंजीकरण संख्या ***C.G.04 E 4256,*** गैर–अपीलकर्ता क्रमांक *2,* जिला*:* दुर्ग*,* छत्तीसगढ़

––– उत्तरवादी

–––

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1556/2018

1- ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मंडल प्रबंधक के द्वारा, परमानंद बिल्डिंग, जीई रोड, राजेंद्र पार्क चौक के पास, दुर्ग तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। (दुर्घटनाग्रस्त वाहन, ट्रक बेयरिंग पंजीकरण संख्या सीजी 04 ई 4256 (अपीलकर्ता संख्या 1) (उत्तरवादी संख्या 3) का बीमाकर्ता, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

––– अपीलकर्ता

बनाम

1 श्रीमती हेमलता साहू पति स्वर्गीय ऋषि कुमार साहू उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम परोदा, पुलिस स्टेशन और तहसील धमधा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़... दावाकर्ता क्रमांक 1, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

2 अर्जुन साहू पिता स्वर्गीय ऋषि कुमार साहू, उम्र लगभग 15 वर्ष उत्तरवादी संख्या 1 श्रीमती हेमलता साहू, निवासी ग्राम परोदा, पुलिस थाना एवं तहसील धमधा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़...... दावाकर्ता क्रमांक 2, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

3– कुमारी मंजू साहू पिता स्वर्गीय ऋषि कुमार साहू, उम्र लगभग 13 वर्ष उत्तरवादी संख्या 1 श्रीमती हेमलता साहू. निवासी ग्राम परोदा, जिला दुर्ग पुलिस थाना एवं तहसील धमधा छत्तीसगढ़... दावाकर्ता क्रमांक 3, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

4– करण साहू पिता स्वर्गीय ऋषि कुमार साहू, उम्र लगभग 11 वर्ष उत्तरवादी संख्या 1 श्रीमती हेमलता साहू. निवासी ग्राम परोदा, पुलिस थाना एवं तहसील धमधा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़....., जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़ . दावाकर्ता सं . 4

5–अजय साहू पिता स्वर्गीय ऋषि कुमार साहू, उम्र लगभग 8 वर्ष उत्तरवादी संख्या 1 श्रीमती हेमलता साहू. निवासी ग्राम परोदा, पुलिस थाना एवं तहसील धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़... दावाकर्ता सं *5,* जिला*:* दुर्ग, छत्तीसगढ़

6. सुखलाल साहू पुत्र जगन्नाथ साहू, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी ग्राम परोदा, थाना एवं तहसील धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़...., जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़ दावाकर्ता क्रमांक 6

7. श्रीमती केतकी बाई साहू पति सुखलाल साहू, उम्र लगभग *60* वर्ष निवासी ग्राम परोदा, पुलिस थाना और तहसील धमधा छत्तीसगढ़... दावाकर्ता क्रमांक *7,* जिला*:* दुर्ग, छत्तीसगढ़ जिला दुर्ग

8– तिजाउराम यादव पिता माधो राम यादव, उम्र लगभग *39* वर्ष निवासी ग्राम कोडिया, तहसील व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। दुर्घटनाग्रस्त वाहन ट्रक का चालक पंजीकरण संख्या सी.जी.*04* ई *4256......* दुर्ग, छत्तीसगढ़ गैर– अपीलकर्ता संख्या *1*

9– सविंदर सिंह पिता गुरदीप सिंह रेखी, उम्र– मेजर, निवासी *55/20* नेहरू नगर पश्चिम भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। दुर्घटनाग्रस्त वाहन, ट्रक बेयरिंग पंजीकरण संख्या ***C.G.04 E 4256*** का स्वामी......... गैर– अपीलकर्ता संख्या *2,* जिला*:* दुर्ग, छत्तीसगढ़

–––उत्तरवादी

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1550/2018

1- ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मंडल प्रबंधक के द्वारा, परमानंद बिल्डिंग, जीई रोड, राजेंद्र पार्क चौक के पास, दुर्ग तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। (दुर्घटनाग्रस्त वाहन, ट्रक बेयरिंग पंजीकरण संख्या सीजी 04 ई 4256 (अपीलकर्ता संख्या 1) (उत्तरवादी संख्या 3) का बीमाकर्ता, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

––– अपीलकर्ता

बनाम

1- श्रीमती. पुष्पा बाई साहू पति स्वर्गीय लुमन कुमार साहू, उम्र लगभग 38 वर्ष निवासी ग्राम पथरिया, पोस्ट मदेसरा तहसील और जिला दुर्ग छत्तीसगढ़...दावाकर्ता सं 1, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

2 - तिजाऊराम यादव पिता माधो राम यादव उम्र लगभग 39 वर्ष निवासी ग्राम कोडिया, तहसील व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। दुर्घटनाग्रस्त वाहन ट्रक का चालक, पंजीकरण संख्या सी.जी.04 ई 4256.... गैर-अपीलकर्ता संख्या 1, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

3- सविन्दर सिंह पिता गुरदीप सिंह रेखी, उम्र बालिग, निवासी 55/20 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। दुर्घटनाग्रस्त वाहन ट्रक का मालिक जिसका पंजीकरण क्रमांक सी.जी.04 ई 4256 है। गैर–अपीलकर्ता क्रमांक 2, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

––– उत्तरवादी

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1709/2018

1- ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मंडल प्रबंधक के द्वारा, परमानंद बिल्डिंग, जीई रोड, राजेंद्र पार्क चौक के पास, दुर्ग तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। (दुर्घटनाग्रस्त वाहन, ट्रक बेयरिंग पंजीकरण संख्या सीजी 04 ई 4256 (अपीलकर्ता संख्या 1) (उत्तरवादी संख्या 3) का बीमाकर्ता, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

बनाम

1–श्रीमती. पुष्पा बाई पति स्वर्गीय लुमन कुमार साहू उम्र लगभग 38 वर्ष निवासी ग्राम पथरिया, पोस्ट मेडेसरा, तहसील और जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। (दावेदार क्रमांक 1), जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

2– मोहित साहू पिता स्वर्गीय लुमन कुमार साहू उम्र लगभग 18 वर्ष निवासी ग्राम पथरिया, पोस्ट मेडेसरा, तहसील व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। (दावेदार क्रमांक 2)

3 लकेश्वर साहू पिता स्वर्गीय लुमन कुमार साहू उम्र लगभग 13 वर्ष प्रतिवादी संख्या 1, श्रीमती पुष्पा बाई साहू, निवासी ग्राम पथरिया, पोस्ट मेडेसरा, तहसील व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। (दावेदार क्रमांक 3), जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

4– तिजाऊराम यादव पिता माधो राम यादव उम्र लगभग 39 वर्ष निवासी ग्राम कोडिया, तहसील व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। उल्लंघनकर्ता वाहन, ट्रक पंजीकरण संख्या सी.जी. 04 ई 4256 का चालक, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

5– सविंदर सिंह पिता गुरदीप सिंह रेखी मेजर, निवासी 55/20 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़। उल्लंघनकर्ता वाहन, ट्रक पंजीकरण संख्या सी.जी. 04 ई 4256 का स्वामी, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

––– उत्तरवादी

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

अपीलकर्ताओं की ओर से:–– श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल, अधिवक्ता

उत्तरवादी की ओर से:–– श्री सुंदर लाल साहू, श्री आर. के. गोमास्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता, श्री श्याम कुमार, श्री अच्युत तिवारी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता और श्री आदर्श पटेल, श्री गगन तिवारी अधिवक्ता की ओर से उपस्थित

माननीय अमितेंद्र किशोर प्रसाद,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

18/07/2025

1.ये सभी अपीलें 17.02.2015 को हुई मोटर वाहन दुर्घटना और संबंधित दावा याचिकाओं पर पारित दिनांक 27.06.2018 के परिणामी निर्णय से उत्पन्न हुई हैं। तथ्यों और विवाद्यक की समानता को देखते हुए, अपीलों को एक साथ मिलाकर सुनवाई की गई है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निराकरण किया जा रहा है।

2.संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि अपील संख्या 1592/2018 सहित, अपीलों का वर्तमान समूह एक सामान्य मोटर वाहन दुर्घटना से उत्पन्न हुआ है जो 17.02.2015 को लगभग शाम 6:00 बजे अवध ताम्रकार के पेट्रोल पंप के पास हुई थी, जिसमें एक टाटा मैजिक वाहन (CG-07-T-1655) और एक ट्रक (CG-04-E-4256) के बीच टक्कर हुई थी। पीड़ित शिव कोकड़ी से ग्राम परोदा लौट रहे थे, तभी दुर्ग की ओर से कथित रूप से तेज़ और लापरवाही से चलाया जा रहा एक ट्रक टाटा मैजिक से आमने–सामने टकरा गया, जिसके

परिणामस्वरूप कई लोग हताहत और घायल हुए। पुलिस स्टेशन धमधा में भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 304 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56/177 के तहत अपराध क्रमांक 26/15 के रूप में एक दाण्डिक प्रकरण दर्ज किया गया था।दुर्घटना के बाद, मृतकों और घायल दावाकर्ता के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 140 और 166 के तहत विद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष छह अलग-अलग दावा आवेदन दायर किए गए। सभी मामलों में, ट्रक (CG-04-E-4256) को दुर्घटनाग्रस्त वाहन के रूप में पहचाना गया और दावाकर्ता ने दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु या शारीरिक चोटों के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की। बीमा कंपनी (अपीलकर्ता) ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का बीमा पॉलिसी संख्या 192500/31/2015/8234 के तहत किया था, जो 27.09.2014 से 26.09.2015 तक सविंदर सिंह रेखी के नाम पर वैध थी। दुर्घटना से उत्पन्न दावा मामलों का सारांश इस प्रकार है: ---

दावा प्रकरण संख्या	दावाकर्ता	मृतक/घायल	पंचाट राशि
156/2015	लोकेश्वर साहू	घायल	रु 41,991/-
161/2015	चित्रलेखा बंजारे एवं अन्य।	रूपेंद्र बंजारे (मृत)	₹6,24,403/-
157/2015	पुष्पा बाई साहू एवं अन्य।	घातक मामला (पीड़ित का नाम अज्ञात)	[अनिर्दिष्ट]
203/2015	पुष्पा बाई साहू	घायल	रु 10,000/-
393/2016	हेमलता साहू एवं अन्य।	ऋषि कुमार साहू (मृत)	₹8,86,000/-
428/2016	लक्ष्मीनाथ साहू एवं अन्य।	कुमारी कविता साहू (मृत)	₹6,10,000/-
1709/2018	श्रीमती सुशीला साहू एंड संस	लुमन कुमार साहू (मृत)	₹38,80,000/-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. इन सभी मामलों में, दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के चालक और मालिक लिखित बयान दाखिल करने या न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश जारी किए गए। विद्वान न्यायाधिकरण ने, प्रत्येक मामले में, बीमा कंपनी को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 170 के अंतर्गत सभी उपलब्ध आधारों पर दावों का विरोध करने की अनुमति प्रदान की। सभी अपीलों में बीमा कंपनी का

प्राथमिक बचाव वैधानिक आवश्यकताओं का पालन न करना और पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन था, विशेष रूप से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के पास मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66(1) के अंतर्गत आवश्यक वैध परमिट नहीं था। ट्रक के पास धारा 84 के अनुसार फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं था। दुर्घटना के समय ट्रक चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। परमिट रविंदर सिंह सिद्धू के नाम पर था, जबकि बीमा पॉलिसी और पंजीकरण सविंदर सिंह रेखी के नाम पर थे, यह दर्शाता है कि परमिट को धारा 82 के तहत कानूनी रूप से हस्तांतरित नहीं किया गया था। दावाकर्ता टाटा मैजिक के चालक, मालिक और बीमाकर्ता को अभियुक्त बनाने में विफल रहे, इस प्रकार आवश्यक पक्षों के गैर-संलग्न होने के कारण याचिकाएं दोषपूर्ण हो गईं। अपने दावों के समर्थन में, बीमा कंपनी ने श्री एस.आर. साहू (सहायक प्रबंधक) और श्री महेंद्र शर्मा (सहायक ग्रेड- III, आरटीओ, रायपुर) की जांच की। उन्होंने बयान दिया है और आधिकारिक रिकॉर्ड पेश किए, जिसमें बताया गया कि दोषी ट्रक का परमिट 26.10.2012 से 26.10.2017 तक वैध था, लेकिन यह मूल परमिट धारक से असंक्रमित रहा, दुर्घटना की तिथि पर कोई फिटनेस प्रमाणपत्र मौजूद नहीं था और चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था। इन वैधानिक उल्लंघनों और बीमाकर्ता द्वारा दायित्व से इनकार करने के बावजूद, न्यायाधिकरण ने सभी मामलों में बीमा कंपनी पर दायित्व निर्धारित कर दिया, तथा दावेदारों को 7% प्रति वर्ष ब्याज के साथ मुआवजे के रूप में विभिन्न राशियां प्रदान कीं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दावा न्यायाधिकरण के विद्वान पीठासीन अधिकारी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनिवार्य प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 82, 84 और 86, जो परिवहन परमिटों के हस्तांतरण, वैधता और प्रवर्तन से संबंधित कानूनी व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं, की समझ न रखकर घोर गलती की है। विचाराधीन वाहन, जिसका पंजीकरण संख्या CG-04-E-4256 है, मूल रूप से श्री रविंदर सिंह सिद्धू के स्वामित्व में था और बाद में इसे श्री सविंदर सिंह रेखी को बेच दिया गया था, जिनके नाम पर संबंधित समय में बीमा पॉलिसी थी। हालांकि, स्वामित्व में इस परिवर्तन के बावजूद, परिवहन परमिट मूल परमिट धारक, श्री रविंदर सिंह सिद्धू के नाम पर ही रहा। धारा 82 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से अनिवार्य करता है कि परिवहन प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना परिवहन परमिट अहस्तांतरणीय है। यह आगे स्पष्ट करता है कि इस तरह का परमिट, ऐसी अनुमति के बिना, हस्तांतरिती को मूल परमिट के तहत वाहन का उपयोग करने का कोई विधिक अधिकार प्रदान करने के लिए कार्य नहीं करेगा। वर्तमान मामले में, ऐसी कोई अनुमति या हस्तांतरण नहीं था। इस स्पष्ट गैर-अनुपालन के बावजूद, न्यायाधिकरण

आवश्यक विधिक निष्कर्ष निकालने में विफल रहा और बीमाकर्ता पर गलत तरीके से दायित्व तय करने के लिए आगे बढ़ा। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम की धारा 84 के तहत, प्रत्येक परमिट से जुड़ी सामान्य शर्तों के अनुसार यह आवश्यक है कि वाहन धारा 56 के अनुसार फिटनेस का वैध प्रमाण पत्र रखे, और यह कि इसे अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार बनाए रखा जाए। रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य, विशेष रूप से श्री एस.आर. साहू और श्री महेंद्र शर्मा के बयान के माध्यम से, स्पष्ट रूप से स्थापित हुआ कि दुर्घटना की तारीख पर वाहन के पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं था। वास्तव में, पुलिस जांच अधिकारी ने इस उल्लंघन को देखते हुए अधिनियम की धारा 56/177 के तहत अपराध दर्ज किया। धारा 86 उल्लंघन के ऐसे मामलों में परमिट के निलंबन या रद्दीकरण का भी प्रावधान करती है, फिर भी न्यायाधिकरण पंचाट पारित करने से पहले इन उल्लंघनों पर विचार करने में विफल रहा। विद्वान न्यायाधिकरण रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण असंगति को भी समझने में विफल रहा, कि पंजीकरण प्रमाणपत्र और बीमा पॉलिसी सविंदर सिंह रेखी के नाम पर थी, जबकि परिवहन परमिट रविंदर सिंह सिद्धू के नाम पर जारी रहा। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि दुर्घटना की तिथि पर, वाहन को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था जिसके पास परमिट के तहत कोई कानूनी अधिकार नहीं था, और इसलिए वाहन का उपयोग स्वयं अनधिकृत था और वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन था। ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता–बीमाकर्ता पर दायित्व नहीं लगाया जा सकता था। यह रिकॉर्ड पर एक स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2, अपराधी वाहन के चालक और मालिक, अपने लिखित बयान दर्ज करने में विफल रहे पंजीकृत मालिक या चालक द्वारा बीमा पॉलिसी, वैध परमिट, पंजीकरण प्रमाणपत्र या फिटनेस प्रमाणपत्र सहित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान न्यायाधिकरण को कानून के सिद्धांतों के तहत एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना चाहिए था और यह माना जाना चाहिए था कि मालिक पॉलिसी और वैधानिक दायित्वों की शर्तों का पालन करने में विफल रहा है। बीमा कंपनी ने श्री एस.आर. साहू (सहायक प्रबंधक) और श्री महेंद्र शर्मा (सहायक ग्रेड– III, आरटीओ, रायपुर) की जांच की, जिन्होंने स्पष्ट रूप से गवाही दी कि परिवहन परमिट श्री सविंदर सिंह रेखी को हस्तांतरित नहीं किया गया था, दुर्घटना की दिनांक पर वाहन के पास वैध फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं था और चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इन स्पष्ट और निर्विवाद सबूतों के बावजूद, विद्वान न्यायाधिकरण ने गवाही को नजरअंदाज कर दिया गया और अपीलकर्ता–बीमाकर्ता पर दायित्व तय करने का निर्णय पारित किया गया, अपीलकर्ता ने विशेष रूप से यह दलील भी उठाई थी कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के चालक के पास परिवहन वाहन चलाने के लिए वैध और प्रभावी

ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149(2)(ए)(ii) के तहत वैधानिक प्रावधान का एक भौतिक उल्लंघन है और साथ ही बीमा पॉलिसी की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। हालांकि, न्यायाधिकरण मामले के इस पहलू पर विचार करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप न्याय का गंभीर हनन हुआ। कई वैधानिक उल्लंघनों, परमिट का हस्तांतरण न करने, फिटनेस प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति, चालक के पास वैध लाइसेंस की कमी और वाहन के अनधिकृत संचालन को देखते हुए, विद्वान न्यायाधिकरण ने क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए अपीलकर्ता–बीमाकर्ता पर गलत तरीके से दायित्व तय किया। इस प्रकार, दावों में पंचाट विधिक रूप से मान्य योग्य नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त उल्लंघनों के तहत, केवल मालिक को ही उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए था यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि दावेदार टाटा मैजिक वाहन (CG-07-T-1655) के चालक, मालिक और बीमाकर्ता को पक्षकार बनाने में विफल रहे, जो दुर्घटना में शामिल था। इन आवश्यक पक्षों का गैर–संलग्नक दावा याचिकाओं को विधिक रूप से दोषपूर्ण बना देता है, और इस विवाद्यक को विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा बिल्कुल भी संबोधित नहीं किया गया था। पूर्वगामी प्रस्तुतियों के आलोक में, यह प्रार्थना की जाती है कि यह न्यायालय 17.02.2015 की दुर्घटना से उत्पन्न जुड़े दावा मामलों के बैच में विद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित अधिनिर्णय को रद्द करने और वैधानिक प्रावधानों और पॉलिसी शर्तों के सिद्ध उल्लंघन के मद्देनजर अपीलकर्ता–बीमाकर्ता को किसी भी दायित्व से मुक्त करने की कृपा करे। उन्होंने 2018 (7) एससीसी 558, गौहर मोहम्मद बनाम यूपी में रिपोर्ट किए गए **अमृत पॉल बनाम टाटा एआईजी जीआईसी राज्य, 2023 (4) एससीसी 381 में रिपोर्ट, मेसर्स मिडिल हाई स्कूल बनाम एचडीएफसी जीआईसी, एसएलपी 31406/2017, परीद पिल्लई बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, एआईआर 2009 केरल 9, गुरमीत सिंह बनाम न्यू इंडिया एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित, एमएसी संख्या 1289/2014 आदेश कुमार बनाम श्रीमती सतरूपा बाई और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के** निर्णय पर भरोसा किया गया ।

5. संबंधित उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया है कि विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने इस स्वीकृत तथ्य के तहत अपीलकर्ता–बीमाकर्ता पर दायित्व निर्धारित किया है कि पंजीकरण संख्या CG-04-E-4256 वाला दोषी वाहन अपीलकर्ता के साथ दुर्घटना की तिथि पर पॉलिसी संख्या 192500/31/2015/8234 के तहत विधिवत बीमित था, जो 27.09.2014 से 26.09.2015 तक वैध था। प्रासंगिक समय पर लागू बीमा अनुबंध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 147 के तहत अनिवार्य रूप

से तीसरे पक्ष के जोखिमों की क्षतिपूर्ति करने के लिए बीमाकर्ता के दायित्व को स्थापित करता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने लगातार माना है कि बीमाकर्ता का प्राथमिक दायित्व तीसरे पक्ष के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देना है अपीलकर्ता ने दायित्व से इनकार करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 82, 84 और 86 के तहत कथित वैधानिक उल्लंघनों का हवाला दिया है। हालाँकि, ये बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच के पारस्परिक मामले हैं और तृतीय–पक्ष दावेदारों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करते हैं, खासकर तब जब दावेदारों पर किसी धोखाधड़ी या मिलीभगत का आरोप न लगाया गया हो। तर्क के लिए यह मान भी लें कि धारा 82 के तहत परमिट हस्तांतरित नहीं किया गया था, या फिटनेस प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं था, ऐसे तकनीकी उल्लंघन बीमाकर्ता को एक वैध पॉलिसी के तहत निर्दोष तृतीय पक्षों को क्षतिपूर्ति देने के उसके वैधानिक दायित्व से मुक्त नहीं करते हैं। यदि कोई उल्लंघन है, तो वह बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच है, और बीमाकर्ता के लिए उचित उपाय "भुगतान करो और वसूल करो" के सिद्धांत के तहत वसूली करना है, न कि पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने से पूरी तरह इनकार करना। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, हालांकि, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि अधिनियम की धारा 149(2)(ए)(ii) के तहत देयता से बचने के लिए बीमाकर्ता को न केवल तर्क देना चाहिए बल्कि यह भी साबित करना चाहिए कि बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसी की शर्तों का जानबूझकर और सचेत उल्लंघन किया गया था। ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि मालिक ने जानबूझकर किसी गैर–लाइसेंसधारी व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति दी थी। इसके अलावा, अपीलकर्ता के अपने साक्षी ने कोई स्पष्ट दस्तावेजी सबूत नहीं पेश किया कि चालक बिल्कुल गैर–लाइसेंसधारी था या मालिक द्वारा जानबूझकर उल्लंघन का कोई तत्व था। ठोस सबूत के अभाव में, बीमाकर्ता केवल पॉलिसी बचाव का आह्वान करके तीसरे पक्ष के पीड़ितों के प्रति देयता से बच नहीं सकता है। न्यायाधिकरण ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 170 के तहत अपीलकर्ता–बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति के लिए उपलब्ध आधारों सहित सभी उपलब्ध आधारों पर दावे का विरोध करने की स्वतंत्रता प्रदान की। इसलिए बीमाकर्ता के लिए यह आवश्यक था कि वह कथित उल्लंघनों को निर्णायक रूप से स्थापित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे। केवल अधिकारियों के मौखिक बयान या अनुमानित विसंगतियों पर निर्भरता एक वैध बीमा पॉलिसी से उत्पन्न देयता की धारणा को विस्थापित नहीं कर सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दावेदारों के खिलाफ धोखाधड़ी, निर्माण या मिलीभगत का कोई आरोप नहीं है। दुर्घटना, दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के तेज और

लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई, जैसा कि एफआईआर, साइट मैप, चार्जशीट और मौखिक बयान से स्थापित होता है। आईपीसी की धारा 279, 337, और 304 और एमवी अधिनियम की धारा 56/177 के तहत अपराध संख्या 26/15 के रूप में विधिवत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। उपरोक्त प्रस्तुतियों के आलोक में, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 और 166 के तहत उत्तरवादी का उचित क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार बीमाकर्ता द्वारा उठाए गए कथित वैधानिक उल्लंघनों से अप्रभावित रहता है। परिवहन परमिट के हस्तांतरण न करने के संबंध में धारा 82 पर भरोसा वर्तमान संदर्भ में पूरी तरह से अनुचित है। परमिट का हस्तांतरण न करना एक नियामक उल्लंघन है, जो वाहन को व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना सकता है, लेकिन तृतीय–पक्ष पीड़ितों के प्रति बीमाकर्ता के दायित्व को प्रभावित नहीं करता है। किसी भी स्थिति में, बीमाकर्ता को हस्तांतरण की पूरी जानकारी थी, क्योंकि उसने सविंदर सिंह रेखी के नाम पर एक वैध बीमा पॉलिसी जारी की थी, जिसका अर्थ है कि वह बीमा योग्य हित को स्वीकार करता है और तृतीय–पक्ष के दावों की क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि टाटा मैजिक वाहन के चालक, मालिक या बीमाकर्ता के न जुड़ने के कारण दावा याचिकाएँ दोषपूर्ण हैं, निराधार है। जैसा कि न्यायाधिकरण ने पाया, दुर्घटना केवल दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के तेज़ और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी। टाटा मैजिक दुर्घटनाग्रस्त वाहन था। किसी भी स्थिति में, अपीलकर्ता ने तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद न्यायाधिकरण के समक्ष उक्त पक्षों को पक्षकार बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, और इसलिए, अब वह अपनी चूक का लाभ नहीं उठा सकता है। इसके अलावा, समग्र लापरवाही या सहभागी लापरवाही का सिद्धांत, भले ही लागू हो, अपीलकर्ता को बीमा पॉलिसी के तहत उसके प्राथमिक दायित्व से मुक्त नहीं करता है। यह भी तर्क दिया गया है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने दुर्घटना रिपोर्ट, स्थल निरीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सा अभिलेखों और दावेदारों के साक्ष्य सहित अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए, सुविचारित निर्णय पारित किए हैं। प्रत्येक दावे में प्रदान की गई क्षतिपूर्ति की राशि न्यायसंगत, निष्पक्ष और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरला वर्मा बनाम डीटीसी, **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी, और अन्य** बाध्यकारी पूर्वोदाहरणों में निर्धारित स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है। पूर्वोक्त प्रस्तुतियों के तहत, यह प्रार्थना की जाती है कि यह न्यायालय अपीलकर्ता–बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपीलों के वर्तमान समूह को निराधार मानते हुए खारिज करने की कृपा करे; प्रत्येक दावा याचिका में विद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा

पारित तर्कसंगत और विधिक रूप से मान्य पंचाट की पुष्टि करें; और अपीलकर्ता–बीमाकर्ता को न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित ब्याज सहित पंचाट राशि को पूरा करने का निर्देश देंवे।

6.मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया है।

7.मामले के तथ्यात्मक सार, प्रस्तुत साक्ष्य, अभिलेख पर मौजूद दलीलों और संबंधित विधिक प्रावधानों की व्यापक जांच के बाद, यह न्यायालय पाता है कि अपीलों के वर्तमान बैच में निर्धारण के लिए मुख्य विवाद्यक अपीलकर्ता–बीमा कंपनी की बीमित व्यक्ति द्वारा किए गए स्पष्ट वैधानिक उल्लंघनों के तहत दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति करने के दायित्व से संबंधित है। तथ्यात्मक स्थिति, जो निर्विवाद और अखंडनीय बनी हुई है, वह यह है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन, पंजीकरण संख्या CG-04-E–4256 वाला एक ट्रक, दुर्घटना के समय अपने तत्कालीन मालिक श्री सविंदर सिंह रेखी के नाम पर वैध परिवहन परमिट नहीं रखता था। परिवहन परमिट मूल रूप से पिछले मालिक श्री रविंदर सिंह सिद्धू के पक्ष में दिया गया था, और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 82 के अनुसार इसे कभी भी वैध रूप से हस्तांतरित नहीं किया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

82. परमिट का हस्तांतरण।

–(1) उपधारा (2) में यथा उपबंधित के सिवाय, परमिट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उस परिवहन प्राधिकरण की अनुमति के बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा जिसने परमिट प्रदान किया था और ऐसी अनुमति के बिना, परमिट द्वारा प्राधिकृत रीति से उस वाहन का उपयोग करने का अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे परमिट द्वारा आच्छादित वाहन हस्तांतरित किया गया है, प्रदान नहीं करेगा।

(2) जहां परमिट धारक की मृत्यु हो जाती है, वहां परमिट द्वारा आच्छादित वाहन का कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति तीन मास की अवधि तक परमिट का उपयोग इस प्रकार कर सकेगा मानो वह उसे ही प्रदान किया गया हो:

परंतु कि ऐसे व्यक्ति ने धारक की मृत्यु के तीस दिन के भीतर, परमिट जारी करने वाले परिवहन प्राधिकरण को धारक की मृत्यु और परमिट का उपयोग करने के अपने आशय की सूचना दे दी हो:

इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि किसी भी परमिट का उपयोग उस दिनांक के बाद नहीं किया जाएगा, जिस दिनांक को वह मृतक धारक के हाथों में नवीकरण के बिना प्रभावी नहीं रह जाता है।

(3) परिवहन प्राधिकरण, परमिट धारक की मृत्यु के तीन महीने के भीतर उसे किए गए आवेदन पर, परमिट द्वारा कवर किए गए वाहनों के कब्जे के उत्तराधिकारी को परमिट हस्तांतरित कर सकता है:परंतु कि परिवहन प्राधिकरण तीन महीने की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद किए गए आवेदन पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि आवेदक को निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने से उचित और पर्याप्त कारण से रोका गया था।

8.इसके अलावा, अधिनियम की धारा 84 के अनुसार, वैध परमिट के साथ धारा 56 के तहत जारी फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए, और वाहन को अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करना होगा। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 84 नीचे उद्धृत है:

"84. सभी परमिटों से जुड़ी सामान्य शर्तें। प्रत्येक परमिट की निम्नलिखित शर्तें होंगी:

(क) जिस वाहन से परमिट संबंधित है, उसके पास धारा 56 के तहत जारी वैध फिटनेस प्रमाणपत्र हो और उसे हर समय इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बनाए रखा जाए;

(ख) जिस वाहन से परमिट संबंधित है, उसे इस अधिनियम के तहत अनुमत गति से अधिक गति से नहीं चलाया जाए;

(ग) जिस वाहन से परमिट संबंधित है, उसके संबंध में धारा 67 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित किसी भी किराए या भाड़े पर लगाए गए किसी भी निषेध या प्रतिबंध का पालन किया जाए;

(घ) जिस वाहन से परमिट संबंधित है, उसे धारा 5 या धारा 113 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नहीं चलाया जाए;

(ङ) कि ड्राइवरों के कार्य के घंटों को सीमित करने वाले इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन किसी वाहन या वाहनों के संबंध में किया जाता है, जिससे परमिट संबंधित है;

(च) अध्याय X, XI और XII के प्रावधानों का, जहाँ तक वे परमिट धारक पर लागू होते हैं, पालन किया जाएगा; और

(छ) संचालक का नाम और पता प्रत्येक वाहन, जिससे परमिट संबंधित है, के बाहरी भाग पर, उसके दोनों ओर, वाहन के रंग से बिल्कुल विपरीत रंग या रंगों में, खिड़की की रेखा के नीचे यथासंभव ऊँचाई पर, मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा या अन्यथा मजबूती से चिपका दिया जाएगा।

9.इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 में प्रावधान है कि धारा 84 के तहत निर्धारित शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में परमिट रद्द किया जा सकता है। इसमें वे मामले शामिल हैं जहाँ वाहन परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए, वैध परमिट के बिना संचालित किया जाता है, जहाँ परमिट धोखाधड़ी या गलत बयानी द्वारा प्राप्त किया गया है, या जिन उद्देश्यों के लिए इसे प्रदान किया गया था, उनके अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 86 नीचे उद्धृत की गई है:

86. परमिटों का रद्दीकरण और निलंबन। (1) परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट प्रदान किया है, परमिट को रद्द कर सकता है या उसे ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकता है, जितनी वह उचित समझे।

(क) धारा 84 में निर्दिष्ट किसी शर्त या परमिट में निहित किसी शर्त के उल्लंघन पर, या

(ख) यदि परमिट धारक किसी वाहन का उपयोग परमिट द्वारा अधिकृत नहीं किसी भी तरीके से करता है, करवाता है या करने देता है, या

(ग) यदि परमिट धारक परमिट द्वारा कवर किए गए वाहन का स्वामित्व खो देता है, या

घ) यदि परमिट धारक ने धोखाधड़ी या गलत बयानी द्वारा परमिट प्राप्त किया है, या

(ङ) यदि मालवाहक परमिट धारक, बिना किसी उचित कारण के, उस वाहन का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए करने में विफल रहता है जिनके लिए परमिट प्रदान किया गया था, या

(च) यदि परमिट धारक किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है:

परन्तु कोई भी परमिट तब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा जब तक परमिट धारक को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर न दे दिया गया हो।

(2) परिवहन प्राधिकरण, किसी ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा, जिसे धारा 68 की उपधारा (5) के अधीन इस निमित्त शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं, प्रदत्त परमिट के संबंध में उपधारा (1) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार कर सकेगा मानो उक्त परमिट परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त परमिट हो।

(3) जहाँ कोई परिवहन प्राधिकरण किसी परमिट को रद्द या निलंबित करता है, वहाँ वह धारक को लिखित रूप में की गई कार्रवाई के कारण बताएगा।

(4) परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट प्रदान किया है, द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रयोक्तव्य शक्तियाँ (परमिट रद्द करने की शक्ति से भिन्न) किसी ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा प्रयोक्तव्य की जा सकेंगी जिसे धारा 68 की उपधारा (5) के अधीन ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हों।

(5) जहां कोई परमिट उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ङ) के अधीन रद्द या निलंबित किए जाने योग्य है और परिवहन प्राधिकरण की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यदि परमिट धारक एक निश्चित धनराशि देने के लिए सहमत हो जाता है, तो परमिट को रद्द या निलंबित करना आवश्यक या समीचीन नहीं होगा, वहां उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, परिवहन प्राधिकरण, यथास्थिति, परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय, परमिट धारक से सहमत धनराशि वसूल कर सकेगा।

(6) जहां धारा 89 के अधीन अपील की गई है, वहां उपधारा (5) के अधीन परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों का प्रयोग अपील प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकेगा।

(7) धारा 88 की उपधारा (9) में निर्दिष्ट परमिट के संबंध में, परमिट प्रदान करने वाले परिवहन प्राधिकरण द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रयोक्तव्य शक्तियां (परमिट रद्द करने की शक्ति से भिन्न) किसी परिवहन प्राधिकरण और किसी प्राधिकरण या ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें धारा 68 की उपधारा (5) के अधीन इस संबंध में शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, इस प्रकार प्रयोक्तव्य की जा सकेंगी मानो उक्त परमिट ऐसे किसी प्राधिकरण या ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया गया परमिट हो।"

10. वर्तमान मामले में, दुर्घटना के समय, दोषी वाहन के पास उसे चलाने वाले व्यक्ति के नाम पर वैध परमिट नहीं था। यद्यपि ट्रक बेच दिया गया था, फिर भी धारा 82 के अनुसार परिवहन प्राधिकरण की अपेक्षित अनुमति से परमिट क्रेता को हस्तांतरित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, दुर्घटना के समय वाहन वैध परमिट के बिना चलाया जा रहा था।

11. **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चल्ला उपेन्द्र राव के मामले में, (2004) 8 एससीसी 517** में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि बिना परमिट के वाहन चलाना उल्लंघन है और बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं है। उपर्युक्त निर्णय का सुसंगत कंडिका नीचे उद्धृत है:

"12. उच्च न्यायालय का विचार था कि चूँकि कोई परमिट नहीं था, इसलिए उसकी किसी भी शर्त के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता। यह विचार स्पष्ट रूप से भ्रामक है। बिना परमिट के वाहन चलाने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति

की तुलना में बेहतर स्थिति में नहीं रखा जा सकता है जिसके पास परमिट तो है, लेकिन उसने उसकी किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है। बिना परमिट के वाहन चलाना एक उल्लंघन है। इसलिए, धारा 149(2) के अनुसार, बीमाकर्ता के पास इस पहलू पर बचाव उपलब्ध है। इस रुख की स्वीकार्यता न्यायनिर्णयन का विषय है। पॉलिसी के प्रभावी होने का प्रश्न बीमाकर्ता के दायित्व संबंधी विवाद्यक से संबंधित नहीं था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा बीमाकर्ता को उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं था।"

12. **अमृत पॉल सिंह बनाम टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में, (2018) 7 एससीसी 558 में रिपोर्ट किया गया,** यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बिना परमिट के सार्वजनिक स्थान पर वाहन का उपयोग एक मौलिक वैधानिक उल्लंघन है। तत्काल संदर्भ के लिए सुसंगत कंडिका नीचे उद्धृत किया गया है:

"24. इस मामले में, रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्रियों से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि दुर्घटना के समय वाहन के पास परमिट नहीं था। अपीलकर्ताओं ने यह तर्क दिया था कि वाहन दुर्घटना में शामिल नहीं था। इसके अलावा, उन्होंने यह नहीं बताया था कि वाहन के पास अस्थायी परमिट था या किसी अन्य प्रकार का परमिट था। अधिनियम की धारा 66 के तहत जो अपवाद बनाए गए हैं, उन पर ज़ोर देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें दलील दी जानी चाहिए और साबित किया जाना चाहिए। दायित्व से मुक्ति पाने के लिए तर्क देते समय अपवादों का सहारा नहीं लिया जा सकता। बिना परमिट के सार्वजनिक स्थान पर वाहन का उपयोग एक मौलिक वैधानिक उल्लंघन है। धारा 66 में दिए गए अपवादों की श्रृंखला को देखते हुए हम ऐसा मानने के लिए तैयार हैं। उक्त स्थितियों को लाइसेंस के अभाव या नकली लाइसेंस या किसी अन्य प्रकार के वाहन के लाइसेंस के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, या, इस मामले में, अधिक यात्रियों को ले जाने की शर्त का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। इसलिए, स्वर्ण सिंह [नेशनलइंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह, (2004) 3 एससीसी 297: 2004 एससीसी (क्रि) 733] और लखमीचंद [लखमी चंद बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, (2016) 3 एससीसी 100: (2016) 2 एससीसी(सिविल) 45] में प्रतिपादित सिद्धांत इस मामले पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, बीमाकर्ता ने यह तर्क दिया था कि विचाराधीन वाहन के पास कोई परमिट नहीं था। इसके लिए "त्रिपिटक" के इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी प्रकार के परमिट का होना दस्तावेजी साक्ष्य का विषय है। बीमाधारक द्वारा ऐसा कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उसके पास वाहन का परमिट था। ऐसी स्थिति में, बीमाकर्ता पर दायित्व नहीं डाला जा सकता है। इसलिए, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि बीमाकर्ता को दावेदारों को ब्याज सहित मुआवज़ा राशि का भुगतान करना होगा, इस शर्त के साथ

कि बीमाकर्ता को मालिक और चालक से इसे वसूलने का अधिकार होगा। उक्त निर्देश स्वर्ण सिंह [नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह, (2004) 3 एससीसी 297: 2004 एससीसी (क्रि) 733] और भुगतान एवं वसूली के सिद्धांत से संबंधित अन्य मामलों में वर्णित सिद्धांतों के अनुरूप हैं।"

13. केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने परीद पिल्लई बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में एमएसीए संख्या 2030/2015 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

"21. यह प्रश्न कि दुर्घटना के समय परिवहन वाहन के लिए वैध परमिट का न होना 'मौलिक उल्लंघन' है या 'तकनीकी उल्लंघन', हाल ही में अमृत पॉल सिंह एवं अन्य बनाम टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य [2018 (3) केएचसी 197] में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष फिर से विचार के लिए आया था। उक्त मामले में तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि, मोटर साइकिल के सवार को 19.02.2013 को अपराधी ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी, जिसके कारण विधि उत्तराधिकारियों द्वारा दावा याचिका दायर की गई थी। बीमाकर्ता द्वारा इसका विरोध किया गया, मुख्य रूप से यह तर्क देते हुए कि अब तक पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ था क्योंकि अपराधी ट्रक के पास वैध परमिट नहीं था और चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के आधार पर और चल्ला उपेंद्र राव के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले पर भरोसा करते हुए [ऊपर उद्धृत], न्यायाधिकरण ने मुआवजे की मात्रा तय करने के बाद, बीमाकर्ता को इसे संतुष्ट करने का निर्देश दिया, बीमाकृत। उक्त निष्कर्ष और तर्क की उच्च न्यायालय ने पुष्टि की, जिसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू हुई। एम.वी. अधिनियम 1988 की धारा 2 (28), 2 (31), 2 (47), 66, 149 और 166 सहित विधि के सुसंगत प्रावधानों और विभिन्न समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों पर विस्तृत चर्चा के बाद, जिसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य [(2004) 3 एससीसी 297] और चल्ला उपेंद्र राव का मामला [ऊपर उद्धृत] शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दुर्घटना की तिथि पर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के पास वैध परमिट नहीं था, जो कि चित्रण को आकर्षित करने के लिए तकनीकी उल्लंघन नहीं था (स्वर्ण सिंह का मामला [ऊपर उद्धृत] [जहां भी बीमाकर्ता को वसूली का अधिकार दिया गया माना गया था, एक बार उल्लंघन स्थापित हो जाने पर बीमाकर्ता पर विचारण चलाया जा सकता है) यह भी देखा गया कि, यह ऐसा मामला नहीं था जहां उप-धारा के तहत कोई अपवाद लागू होता धारा 66 की धारा (3) आकर्षित हुई और आगे कहा गया कि, किसी भी प्रकृति के परमिट का अस्तित्व दस्तावेजी साक्ष्य का विषय था। खंडपीठ ने यह अभिनिर्धारित

किया **कि कि अधिनियम की धारा 66 (3) के तहत बनाए गए अपवादों की तर्क दी जानी चाहिए और उन्हें साबित किया जाना चाहिए। बीमाधारक/मालिक और यह बोझ बीमाकर्ता के कंधों पर नहीं डाला जा सकता है। तदनुसार यह घोषित किया गया है कि, परमिट के बिना सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन का उपयोग मौलिक/वैधानिक उल्लंघन है और स्वर्ण सिंह के मामले में निर्धारित सिद्धांत [ऊपर उद्धृत] और लक्ष्मी चंद बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस [(2016) 3 एससीसी 100] इस संबंध में लागू नहीं हो सकते है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी परिस्थितियों में** अभिनिर्धारित किया **है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायाधिकरण के रुख की पुष्टि करते हुए बीमाकर्ता को दायित्व को पूरा करने और इसे मालिक/बीमित व्यक्ति से वसूलने का निर्देश देना स्वर्ण सिंह के मामले में बताए गए सिद्धांतों के अनुरूप था चल्ला उपेंद्र राव मामले [ऊपर उद्धृत] और अमृत पॉल मामले [ऊपर उद्धृत] के नवीनतम निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि निर्धारित किया गया है। यह स्थिति होने के नाते, ऑगस्टीन वी.एम. बनाम अय्यप्पनकुट्टी @ मणि और अन्य [ऊपर उद्धृत] में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांत यह मानते हुए कि वैध परमिट या फिटनेस प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति एक मौलिक उल्लंघन नहीं है, बल्कि एक तकनीकी उल्लंघन है और बीमाकर्ता को वसूली का कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता है, बिल्कुल सही नहीं है। तदनुसार यह खारिज हो गया है। नतीजतन, थारा के मामले [ऊपर उद्धृत] में सिद्धांत बहाल किया जाता है और सेतुनाथ के मामले [ऊपर उद्धृत] में व्यक्त विपरीत दृष्टिकोण गलत घोषित किया जाता है।**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णयों पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए दुर्घटनाग्रस्त वाहन का परमिट विधिवत हस्तांतरित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, दुर्घटना की तिथि और समय पर वाहन के पास वैध परमिट नहीं था। यह बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन है, जिससे बीमा कंपनी दायित्व से मुक्त हो जाती है। ये उल्लंघन मूलभूत प्रकृति के हैं, न कि केवल तकनीकी उल्लंघन, और बीमाकर्ता के बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के दायित्व के मूल पर प्रहार करते हैं। हालांकि यह सत्य है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147 के तहत बीमा कंपनी का तीसरे पक्ष के पीड़ितों को मुआवजा देने का वैधानिक दायित्व है, लेकिन यह बिना शर्त नहीं है। जहाँ मौलिक वैधानिक उल्लंघन सिद्ध होते हैं, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है, वहाँ न्यायालयों ने "भुगतान करो और वसूल करो" का सिद्धांत विकसित किया है जिसके तहत बीमाकर्ता को प्रथम दृष्टया दावेदारों को पुरस्कार राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया

जाता है और उसे उल्लंघनकर्ता वाहन के मालिक से उसे वसूलने की स्वतंत्रता दी जाती है। यह दृष्टिकोण निर्दोष तृतीय–पक्ष दावेदारों के अधिकारों और उल्लंघनकर्ता पॉलिसीधारक द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के बीमाकर्ता के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा, ऊपर उद्धृत निर्णयों सहित, इस सिद्धांत का निरंतर पालन किया गया है।

15. तदनुसार, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि यद्यपि वाहन स्वामी द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए बीमाकर्ता को प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, फिर भी न्याय के हित में और मोटर वाहन अधिनियम में निहित परोपकारी विधान के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए, उसे प्रथम दृष्टया पंचाट का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात, बीमाकर्ता, विधि के अनुसार,दुर्घटनाग्रस्त वाहन के स्वामी से राशि वसूलने का हकदार होगा। अतः, बीमाकर्ता द्वारा दायर अपीलें, दायित्व पर न्यायाधिकरण के निर्णय को संशोधित करने की सीमा तक स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

16. विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पारित विवादित निर्णय, जहाँ तक वे बीमा कंपनी को सीधे तौर पर उत्तरदायी ठहराते हैं, वैधानिक उल्लंघनों को स्वीकार किए बिना, एतद्द्वारा अपास्त किए जाते हैं। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि दुर्घटना की तिथि पर, दुर्घटनाग्रस्त वाहन के पास बीमाधारक के पक्ष में हस्तांतरित वैध परिवहन परमिट या वैध फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं था, जिससे वैधानिक प्रावधानों और पॉलिसी शर्तों का मूलभूत उल्लंघन होता है। तदनुसार, बीमा कंपनी को मालिक को क्षतिपूर्ति देने के अधिकार के रूप में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। हालाँकि, "भुगतान करें और वसूल करें" के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, और न्याय एवं दावाकर्ता के कल्याण के हित में, बीमा कंपनी को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रत्येक दावा मामले में प्रथम दृष्टया अधिकरण द्वारा निर्धारित ब्याज सहित अधिनिर्णय राशि का भुगतान करे। इसके बाद, बीमा कंपनी विधि के अनुसार उचित कार्यवाही शुरू करके दुर्घटनाग्रस्त वाहन के मालिक से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने की हकदार होगी। प्रत्येक दावा याचिका में अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित क्षतिपूर्ति की राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और उसकी पुष्टि की जाती है। न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित ब्याज दर और आबंटन भी अपरिवर्तित रहेगा।

17. संबंधित अपीलें ऊपर दर्शाई गई सीमा तक स्वीकार की जाती हैं।

सही/–
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***